न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -15/2021-22

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

जयनाथ महतो बनाम जितेन्द्र नारायण महतो

27.09.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – जयनाथ महतो पिता–स्व० घासीराम महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नावाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता – जितेन्द्र नारायण महतो पिता–करम चन्द महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नावाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री रामचरण महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–12/05/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता जितेन्द्र नारायण महतो पिता–करम चन्द महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नावाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गुचीडीह	सोनाहातु/44	34	268	05 डी० चौहद्दीः– उ०–बनमाली महतो। द०–जितेन्द्र नारायण महतो वगै०। पू०–मोहर महतो। प०–भजोहरी महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–406(ii) दिनांक–07/09/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत तेजुआ महतो वल्द मोहन महतो के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है।

(3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम तेजुआ महतो वो जगन महतो है। तथा रैयत के पास खाता सं० 34, 41 में कुल रकबा–4.09 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020–21 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड़ III किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात भी विक्रेता के पास रकबा–1.31 ए० भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को घरेलु आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो राँची जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता जयनाथ महतो पिता–स्व० घासीराम महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नावाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता जितेन्द्र नारायण महतो पिता–करम चन्द महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नावाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–12/05/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता जयनाथ महतो पिता–स्व० घासीराम महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नावाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता जितेन्द्र नारायण महतो पिता–करम चन्द महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नावाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के

हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गुचीडीह	सोनाहातु/44	34	268	05 डी० चौहद्दीः– उ०–बनमाली महतो। द०–जितेन्द्र नारायण महतो वगै०। पू०–मोहर महतो। प०–भजोहरी महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

27/09

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

27/09

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.03.12 12:03:43 +05:30
Location: 10.93.79.7